5.01.23 पत्रावली पेश। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। वादीगण वादग्रस्त आराजी के विधिसंगत खातेदार काश्तकार है तथा खातेदारी के समस्त अधिकार रखते है जिसमे अपनी आराजी की सुरक्षा भी शामिल है। अत: प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलंदाजी ना तो स्वयं करें ना किसी अन्य से करावे। इस प्रकार आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदर